न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 71/2020 – निगरानी

मोहन लाल तेली पिता भूरा लाल तेली निवासी फला सिया तह मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

1. चुन्नी लाल पिता घासी जी धाकड़ निवासी गोवटा तह. मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. बालु लाल पिता राजू धावड़ निवासी गोवटा तह. मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत बल्दरखां, पंचायत समिति, मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच महोदय/सचिव, ग्राम पंचायत बल्दरखां तह. मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश बप्रकरण पट्टा संख्या – 29 दिनांकित 26–11–74 निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री कैलाश राव अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री उदयलाल जाट अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 व 02 की ओर से अनु0

निर्णय

दिनांक 12.07.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या–3 द्वारा दिनांक 14–6–2017 को इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया गया कि उक्त पट्टे का ना तो कोई रिकार्ड गैर निगराकार के कार्यालय में है और ना ही पटटे मे जो राशि पंचायत कोष में जमा कराना बताया वह राशि भी पंचायत कोष में जमा नहीं है, इसलिये गैर निगराकार संख्या–3 द्वारा तात्कालीन समय का पट्टा प्रथम दृष्टया शून्य एवं निष्प्रभावी है। उक्त पट्टे में जो भूमि बताई है वह भूमि बापी पट्टे के रूप में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उक्त भूमि राजकीय भूमि है और ग्राम बल्दरखां की जनता के लिये हितार्थ व लाभार्थ है। गैर निगराकार संख्या– 1 व 2 बल्दरखां के निवासी नहीं है, जबकि ये अन्य पंचायत के निवासी है और उक्त पट्टे की भूमि ग्राम फलासिया में स्थित है, जो ग्राम पंचायत बल्दरखां के क्षेत्राधिकार में है। निगराकार अशिक्षित व्यक्ति है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

कि ग्राम पंचायत ने कौनसे नियमों की उल्लघंना व अवेहलना की हैं, निगराकार ने कोई स्पष्ट कारण व तथ्य भी पेश नहीं किये हैं। तथाकथित छायाप्रति प्रमाण पत्र भी किसके द्वारा जारी किया गया है ? क्यों जारी किया गया है ? तथा किस आधार पर जारी किया गया हैं ? यह भी स्पष्ट नहीं हैं। हस्ताक्षरकर्ता की कोई सील भी अंकित नहीं हैं तथा ना ही प्रमाण पत्र जारीकर्ता के कोई बयान कराये हैं।

निगराकार द्वारा प्रश्नगत भूमि को राजकीय भूमि बताता हैं, किन्तु इसकी पुष्टि में राजस्व विभाग की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की हैं।

निगराकार ने मात्र यह कथन अंकित किया है कि प्रश्नगत पटटा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड में नही होने से प्रश्नगत पटटा प्रारब्ध से ही शून्य एवं निष्प्रभावी हैं, जिससे उक्त प्रश्नगत पटटे को अवैध ठहराते हुये पटटा खारिज कराने हेतु उक्त निगरानी पेश की हैं जो बिना किसी आधार के एवं पटटा पत्रावली के अभाव में पेश की है जो निगरानी खारिज योग्य ठहरती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बल्दरखां पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाडा